कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 5783/2018 रमीला वर्मा व 03 अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2018 द्वारा याचिकार्थीगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका यंख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के जरिये निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण रमीला वर्मा व 03 अन्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रधानाध्यापक (मा.वि.) पद पर सीधी भर्ती 2012 के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिये जाने की मांग की गई।

उक्त प्रकरण में निम्नांकित 04 याचिकार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों एवं माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में गहन परीक्षण किया गया। प्रधानाध्यापक (मावि) पद पर सीधी भर्ती, 2012 में चयनित अभ्यर्थियों की राजस्थान लोक. सेवा आयोग अजमेर से जिस क्रम में अभिस्तावना प्राप्त हुई, तद्नुसार इनके अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जॉच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जारी किये गये। विभाग द्वारा प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 13.09.2013 को जारी किया गया जबकि याचिका मे वर्णित निम्नांकित 04 याचिकार्थी को अनुभव प्रमाण–पत्रों की जॉच उपरांत इनके नाम के सामने कॉलम सख्या 6 में अकित तिथि को प्रधानाध्यापक मावि पद पर नियुक्ति प्रदान की गई :–

क्र0स0	याचिकार्थी का नाम	मेरिट सख्या	वर्तमान पदस्थापन	जन्म दिनांक	नियुक्त आदेश दिनांक	प्रधानाध्यापक पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	RAMILA VERMA	R-53	HEADMASTER, G.SR.SEC.SCHOOL ADOR, BANSWARA	29-12-1972	21.02.2018	22.02.2018
2	BEENU PARMAR	R-54	HEADMASTER, GOVT. SEC. SCHOOL THAPDA, BANSWARA	13-12-1979	21.02.2018	23.02.2018
3	RAVINDRA DADHICH	R-08	HEADMASTER, GOVT. SEC. SCHOOL. ALPHANAGAR, BUNDI	01-05-1973	21.02.2018	27.02..2018
4	MUKESH KUMAR DHAKER	R-29	HEADMASTER, GOVT.SEN.SEC. SCHOOL KHAJURA, BANSWARA	15-02-1983	21.02.2018	26.02.2018

चूंकि याचिकार्थी रमीला वर्मा व अन्य 03 की नियुक्ति मूल सूची के आधार पर न होकर आरक्षित सूची की अभिस्तावना के आधार पर विभाग द्वारा की गई है। पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थी मुख्य आरक्षित सूची में चयनित थे एवं याचिकार्थी का चयन आरक्षित सूची में हुआ हैं। पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थी इनसे कनिष्ठ नहीं थे, सन्दर्भित न्यायिक निर्णय पूर्व में नियुक्त कनिष्ठ अभ्यार्थियों के समान नोशनल परिलाभ दिए जाने के सन्दर्भ में है। अतः याचिकार्थी का प्रकरण याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय से कवर नही पाये जाने के कारण याचिकार्थी को सेवा से सम्बन्धित समस्त परिलाभ स्वीकृत किया जाना नियमान्तर्गत नहीं होने के आधार पर अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाकः शिविरा/मा/सस्था/बी–III/कोके/या0–5783/रमीला वर्मा व अन्य 03/18/1 दिनांकः– 04.04.2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) ।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–विधि, जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. सम्बन्धित याचिकार्थी।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर